

उत्तर प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
Office of Executive Engineer
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड
National Highway Division
लो0नि0वि0, इटावा-206001
UPPWD, Etawah-206001



एस0एस0पी0 चौराहा, मैनपुरी रोड, इटावा-206001
SSP Chauraha, Mainpuri Road, Etawah-206001
E-mail: eenhpwdetw@gmail.com
E-mail: nhetawah@gmail.com

पत्रांक 1327 / 9c

दिनांक- 02-12-2022

सेवा में,

1. प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
इटावा।
2. उप वन संरक्षक
राष्ट्रीय चम्बल सेन्चुरी प्रोजेक्ट
आगरा उ0प्र0।

विषय:- जनपद इटावा की तहसील इटावा के अन्तर्गत इटावा-ग्वालियर मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-92 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-719) के किमी0-70.500 से 74.700 तक के भाग तक 02 से 04 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में सामाजिक वानिकी प्रभाग इटावा में प्रस्तावित 6.930 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 259 वृक्षों के पातन एवं राष्ट्रीय चम्बल वन्यजीव विहार आगरा के अन्तर्गत किमी0-74.700 से 77.950 तक 02 से 04 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु प्रस्तावित 3.895 हे0 संरक्षित एवं 1.45 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं उस पर अवस्थित 6699 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल प्रस्तावित 12.275 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग वन उस पर अवस्थित कुल 6958 वृक्षों के पातन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव सं0-FP/UP/ROAD/150997/2022

सन्दर्भ:- पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यूपी/06/274/2022/एफ.सी./566 दिनांक-03.10.2022 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक-1269/11-सी-FP/UP/ROAD/150997/2022 दि0-07.10.2022 एवं आपका पत्रांक-1180/14-1 दिनांक-11.10.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक-8बी/यूपी/06/274/2022/एफ.सी./566 दिनांक-03.10.2022 द्वारा विषयगत प्रस्ताव में निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने जाने की अपेक्षा की गयी है जो निम्नवत प्रस्तुत है-

क्र0 सं0	आपत्ति	निराकरण आख्या
1	It is not clear from the proposal that what is the status of widening before and after proposed alignment.	वर्तमान में मार्ग की चौड़ाई 7.00 मी0 है जिसे 4 lane Upgrade कर 23.5 मी0 चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही मार्ग के दोनों ओर 3.25 मी0 की पट्टी मार्ग के किनारे वृक्षारोपण हेतु प्रयोग में लायी जायेगी।
2	Positional error has been found in the proposed CA land of Hanumantpura forest Block. This may need to rectify.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक आई टी उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक-259/12-42-2 (जी0आई0एस0) दिनांक-01.12.2022 एवं उप वन संरक्षक राष्ट्रीय चम्बल सेन्चुरी प्रोजेक्ट आगरा के पत्रांक-1164/23-1 दिनांक 01.12.2022 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि "क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित स्थल डिजिटल बाउण्ड्री के अनुसार अपने स्थल पर ही है" तथा बीहड क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण आवश्यक अवनत वनभूमि 10.69 हे0 से 4.39 हे0 अधिक चयनित की गयी है।
3	As per State Govt forwarding letter dated 14-09-2022 the chainage area from km 70.500 to 74.500 is proposed for diversion	इस कार्यालय के अधिकारियों एवं कंसल्टेंट द्वारा प्रस्ताव का पुनः अवलोकन किया गया; प्रस्ताव में किमी0-70.500 से 74.700 तक का भाग सामाजिक वानिकी

	of forest land (6.93ha.) under social forestry division Etawah and the chainage area from km 74.700 to 77.950 is proposed for diversion of forest land (5.345ha.) under Chambal wildlife Division Agra. So, there is gap in between chainage areas (i.e., of 0.200 km) w.r.t the area proposed for diversion. Further, as per part-I of the proposal, chainage area is mentioned from Km. 70.500 to 78.600 Km of NH-92 (new NH-719). This needs to be clarified	प्रभाग इटावा में तथा 74.700 से 77.950 तक राष्ट्रीय चम्बल वन्यजीव सेन्चुरी आगरा की सीमा है। प्रस्तावित इटावा-ग्वालियर मार्ग में 200 मी० का कोई खाली अन्तराल नहीं है।
4	Whether area proposed for diversion under Chambal wildlife Division. Agra forms part of Taj Trapezium Zone (TTZ) or not. If yes, the permission of Hon'ble Supreme Court needs to be submitted.	राष्ट्रीय चम्बल सेन्चुरी डिवीजन आगरा का कार्यक्षेत्र चम्बल नदी के किनारे का क्षेत्र है। प्रस्ताव में प्रदर्शित मार्ग जनपद इटावा की सीमा में है जो TTZ की संसूचित परिधि से बाहर है।
5	As per the area proposed for Diversion falls within Chambal Wildlife Division Agra. So, the approval of NBWL needs to be submitted.	प्रस्ताव के साथ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम-1972 के अन्तर्गत आवेदन किया गया है
6	Details of existing RoW proposed RoW and land width (row) availability for road side plantation needs to be submitted and accordingly plantation scheme for road side plantation needs to be submitted.	वर्तमान में मार्ग की चौड़ाई (existing RoW) 7.00 मी० है जिसे Upgrade कर 23.5 मी० चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही मार्ग के दोनों ओर 3.25 मी० की पट्टी मार्ग के किनारे वृक्षारोपण हेतु प्रयोग में लायी जायेगी।
7	NOC from concerned dept. needs to be submitted.	प्रस्तावित मार्ग के निर्माण में कोई भी नहर/रेलपथ या अन्य राष्ट्रीय मार्ग प्रभावित न होने के कारण अन्य विभागों की अनापत्ति की आवश्यकता नहीं है।
8	When was the existing road constructed? Details need to be provided.	प्रस्तावित मार्ग का निर्माण वर्ष 1960 से पूर्व किया गया। 10.02.1960 को उक्त मार्ग संरक्षित वनक्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया।
9	The area falling with in Chambal sanctuary. The NPV should be charged five times of Normal value.	दिनांक-06.01.2022 के अनुसार एन०पी०वी के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों के कम में उप वन संरक्षक राष्ट्रीय चम्बल सेन्चुरी प्रोजेक्ट आगरा द्वारा 05 गुना शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना प्रस्ताव के साथ पूर्व में संलग्न कर प्रेषित की गयी है। (छायाप्रति संलग्न)

अतः आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव मूल में संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


 (मुकेश कुमार ठाकुर)
 अधिशाषी अभियन्ता
 राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो०नि०वि०,
 इटावा

दिनांक-

पत्रांक /

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ
2. मुख्य वन संरक्षक कानपुर मण्डल कानपुर
3. मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव पश्चिमी क्षेत्र कानपुर।
4. मुख्य अभियन्ता रा०मा० लो०नि०वि०, उत्तर प्रदेश लखनऊ
5. अधीक्षण अभियन्ता रा०मा० वृत्त लोक निर्माण विभाग कानपुर।


 अधिशाषी अभियन्ता
 राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो०नि०वि०,
 इटावा